कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)

Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)

E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांकः– 251 / 14 सी0 दिनांकः– 20 / 02 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौडी (गढ़वाल)

विषय– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील थलीसैण में गढसारी कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.08 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 3103 / 27 दिनांक 25.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10588/2015 की सैद्धान्तिक स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 08 बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 41 2016 / एफ0सी0 / 1304 दिनांक 17.11.2016 द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार है।

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.16 है0 ग्राम सकन्याली की सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखवा हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हुये यथसंशोधित) जमा की जायेगी । उक्त भूमि वन विभाग की स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा भूमि हस्तान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।	जिलाधिकारी के पत्रांक सं0– 15 / 08–एल0ए0सी0–भू0हस्ता0 / 2023 दिनांक पौडी 09. 10.2023 द्वारा नामान्तरण एवं हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। एवं हस्तान्तरण, नामान्तरण के क्रम में खतौनी की प्रति भी संलग्न की जा रही है। (संलग्नक–1, कुल पृष्ठ – 12)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 912600.00 व सी0ए0 की धनराशि रू0 547197.00 जमा की जा चुकी है। प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 1569 / 12–1 दि0 30. 10.2024 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 173027.00 जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था, दि0 09.01.2025 को अतिरिक्त एन0पी0वी0 को जमा करा दिया गया है जोकि परिवेश पोर्टल पर Paid प्रदर्शित हो रहा है। (संलग्नक–2)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचत बद्धता प्रस्तुत की जाये।	वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा किये जाने का वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3)
4	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0वी0पी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय खाता में ऑनलाईन पोर्टल के मध्य जो चालान जरेट होता है उसी के मध्य से किया जाना आवश्यक है। जिसके सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाये।	इस खण्ड द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0वी0पी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तहत निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा चालान जनरेट कर जमा किया गया है। जो कि ऑनलाईन दिखा रहा है। (संलग्नक–2)
5	सडक के निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की बचत बद्वता प्रेषित करनी होगी।	सडक के निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की किये जाने का वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–4)

उपरोक्तानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव अपने स्तर से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्री कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(इं0 लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

पत्रांकः– /14 सी0 दिनांकः– / /2025

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षण (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु प्र्यावरण मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पियर्सन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूर भाषा: 0135&2750809]
ईमेल/Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/41/2016/एफ.सी./1364

दिनांक: 17.11. 2016

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील–थलीसैण में गडसारी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 1.08 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक–215/X-4-16/1(66)/2016 दिनांक 05.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/ROAD/10588/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील–थलीसैण में गडसारी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 1.08 है0 वन भूमि के उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.16 है0 ग्राम सकन्याणी की सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता मे Online portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

5. सड़क के निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.16 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन ते की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्र क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी सख्या प्रस्ताव के अनुसार 84 से अधिक न हो।
10. सड़क के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू हो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(एम0एस-
वन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

संलग्नक - 1
कुल पृष्ठ - 12

// आदेश //

उपजिलाधिकारी, थलीसैंण द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0–445 / र0का0–2022–23 दिनांक 06.106.2023 में जनपद पौड़ी गढ़वाल अन्तर्गत गढ़सारी–कुल्याणी मोटर मार्ग हेतु 1.08 है0 के बदले 2.160 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भू–प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत किया गया है।

- प्रस्तावित भूमि ग्राम ढौण्ड, पट्टी ढौडियालस्यूँ–1, तहसील बीरोंखाल की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0–21 के खेत सं0–7352 रकबा 5.297 है0 मध्ये 2.160 है0 भूमि श्रेणी–9(3)ख अन्य प्रकार के वृक्ष व झाडियों के समूह व लम्बी घास के रूप में दर्ज अभिलेख है, प्रस्तावित की गई है।

ग्राम / पट्टी का नाम	नॉन जेड0ए0 खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	प्रस्तावित क्षेत्रफल	श्रेणी
ग्राम ढौण्ड, पट्टी ढौडियालस्यूँ–1	21	7352	5.297	2.160 है0	श्रेणी–9(3)ख अन्य प्रकार के वृक्ष व झाडियों के समूह व लम्बी घास

- प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग गौचर, पनघट, रास्ता आदि की नही है।
- प्रस्तावित भूमि पर कोई धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक ईमारत नही है।

अतः उक्तानुसार ग्राम ढौण्ड, पट्टी ढौडियालस्यूँ–1, तहसील बीरोंखाल की नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता सं0–21 के खेत सं0–7352 रकबा 5.297 है0 मध्ये 2.160 है0 भूमि श्रेणी–9(3)ख अन्य प्रकार के वृक्ष व झाडियों के समूह व लम्बी घास के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग, गढ़वाल वन प्रभाग, पौडी के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(डॉ0 आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

!! कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!

संख्या– 15 / 08–एल0ए0सी0–भू0हस्ता0 / 2023 दिनांक पौडी अक्टूबर 9 2023

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी।
3– उपजिलाधिकारी,थलीसैंण / बीरोंखाल।
4– प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौडी।
5– अधि0 अभि0, नि0ख0लो0नि0वि0 बैजरों।
6– तहसीलदार, थलीसैंण / बीरोंखाल।
7– कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

Email Id-sdmthalisain@gmail.com

// कार्यालय उपजिलाधिकारी थलीसैंण //

संख्याः– 57/जे0ए0/2019, दिनांक थलीसैंण नवम्बर 30. 2019.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पत्रांक 1384
पत्रावली 14 सी
दिनांक 07/12/19
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग बैजरों।

विषयः– जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत तहसील थलीसैंण में गढ़सारी–कुल्याणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.08 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.160 है0 सिविल भूमि ढ़ौण्ड़ पट्टी–ढौडियालस्यूं, तहसील थलीसैंण का उपयुक्ता प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक–1453/14 सी0 दिनांक–06.09.2019, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत तहसील थलीसैंण में गढ़सारी–कुल्याणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.08 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.160 है0 सिविल भूमि ढ़ौण्ड़ पट्टी–ढौडियालस्यूं, तहसील थलीसैंण का उपयुक्ता प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु वन विभाग एंव राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार थलीसैंण को वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, तहसीलदार थलीसैंण ने अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या से अवगत कराया है कि, दिनांक–20 10.2019, को वन विभाग की ओर से वन दरोगा मोहन कुमार एंव राजस्व विभाग की ओर से राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम ढौण्ड़ पट्टी ढौडियालस्यूं–1 तहसील थलीसैंण गढवाल में नॉन0जेड़0ए0 में दर्ज श्रेणी 9(3) ख में दर्ज झाड़ी के खसरा नं0–7352 का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में ग्राम ढौण्ड़ की नॉन0जेड़0ए0 में दर्ज भूमि झाड़ी खसरा नं0–7352, जिसका क्षेत्रफल 5.297 है0 है, मध्ये–2.160 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

अतः गढ़सारी–कुल्याणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.08 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.160 है0 सिविल भूमि ग्राम ढौण्ड़ पट्टी–ढौडियालस्यूं नॉन0जेड़0ए0 में दर्ज श्रेणी 9(3) ख में दर्ज झाड़ी के खसरा नं0–7352, क्षेत्रफल 5.297 है0, मध्ये–2.160 है0 सिविल भूमि का उपयुक्ता प्रमाण–पत्र तहसीलदार थलीसैंण की जांच आख्या मय नक्शा, खसरा, खतौनी, के संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

<u>संलग्न–यथोक्त।</u>

उपजिलाधिकारी,
थलीसैंण।

1- सहायक अभियन्ता (द्वितीय)।
2- खण्डीय अमीन।

7/12/2019
मु0 प्र0 आधार

// कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल //

संख्याः 303 /08–एल0ए0सी0–भू0हस्ता0/2023 दिनांक पौड़ी जुलाई 25 2023.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्राप्ति 712
पत्रावली 14 सी0
दिनांक 25/07/23
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
थलीसैंण/बीरोंखाल।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तहसील थलीसैंण में गढ़सारी–कुल्यणी मोटर मार्ग हेतु 1.08 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 2.160 है0 सिविल भूमि ढौण्ड, पट्टी ढौडियालस्यूँ, तहसील थलीसैंण का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के नाम किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि बैंजरों ने अपने कार्यालय पत्र सं0–1080/14 सी, दिनांक 06–07–2023 में उल्लेख किया है कि उकत मोटर मार्ग का निर्माण इस खण्ड द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिस हेतु अपेक्षित 1.080 है0 वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त है। विधिवत् स्वीकति लगाई गई शर्तानुसार ग्राम ढौण्ड, पट्टी ढौडियालस्यूँ के नॉन जेड0ए0 में दर्ज श्रेणी–9–3(ख)झाड़ी के खसरा सं0–7352, जिसका क्षेत्रफल 5.297 है0 मध्ये 2.160 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गई है,जो कि विभाग के नाम नामान्तरित /हस्तान्तरित की जानी है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्णित भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की अपेक्षा की गई है।

2– अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–485/X–2–2020–15(59)/2014 दिनांक 19–02–2020 मे प्रस्तर–ख मे उल्लेख किया गया है कि किसी भी क्षेत्र के अलावा राज्य के किसी भी राजस्व रिकॉर्ड के जिल्द बन्दोवस्ती के अनुसार जमींदारी विनाश खतौनी(Record of Rights) में अंकित श्रेणी–5(3)क(1), क(2) एवं 5(3)ख(1) ख(2) तथा गैर जमींदारी विनाश खतौनी (Record of Rights) में अंकित श्रेणी–9(3)क, 9(3)ख में "वन" के रूप में अभिलिखित क्षेत्र को ही "वन" माना जायेगा।

अतः उक्तानुसार भू–प्रस्ताव/आख्या इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नः– यथोपरि।

(हस्ताक्षर)
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि बैंजरों को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,गढ़वाल।

अमीन
(हस्ताक्षर)
25/7/23

संयुक्त निरीक्षण जांच आख्या

महोदय,

मुताबिक आदेश कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग बौंसरो (गढवाल) पत्रांक संख्या 1453/14 सी विषयक जनपद पौड़ी गढवाल के अन्तर्गत तहसील थलीसैण के गढसारी कुल्याणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.3 है. वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.160 हे. सिविल भूमि ढौण्ड पट्टी - चौंदिपालस्यू 1 तहसील थलीसैण, का उपयुक्ता प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध मे था जिसके क्रम मे आज दिनांक 20-10-2014 को वन विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम ढौण्ड पट्टी - चौंदिपालस्यू 1 तहसील - थलीसैण गढवाल मे NON ZA मे दर्ज श्रेणी 9(3) ख मे दर्ज झाडी के खसरा नं. 7352 निरीक्षण किया गया, निरीक्षण मे मुझ अ.कुनि के साथ रा.नि. थलीसैण व वन दरोगा मोहन कुमार भी सम्मिलित थे. संयुक्त निरीक्षण मे ग्राम ढौण्ड की NON ZA मे दर्ज भूमि झाडी जिसका खसरा नं. 7352 जिसका क्षेत्रफल 5.297 हे है, मध्य 2.160 हे. भूमि का चयन क्षति पूर्वक वृक्षारोपण हेतु किया गया है,

अतः निरीक्षण रिपोर्ट खतौनी व नक्शा की नकल सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा मे प्रेषित है,

(हस्ताक्षर)

चौंदिपालस्यू

थलीसैण

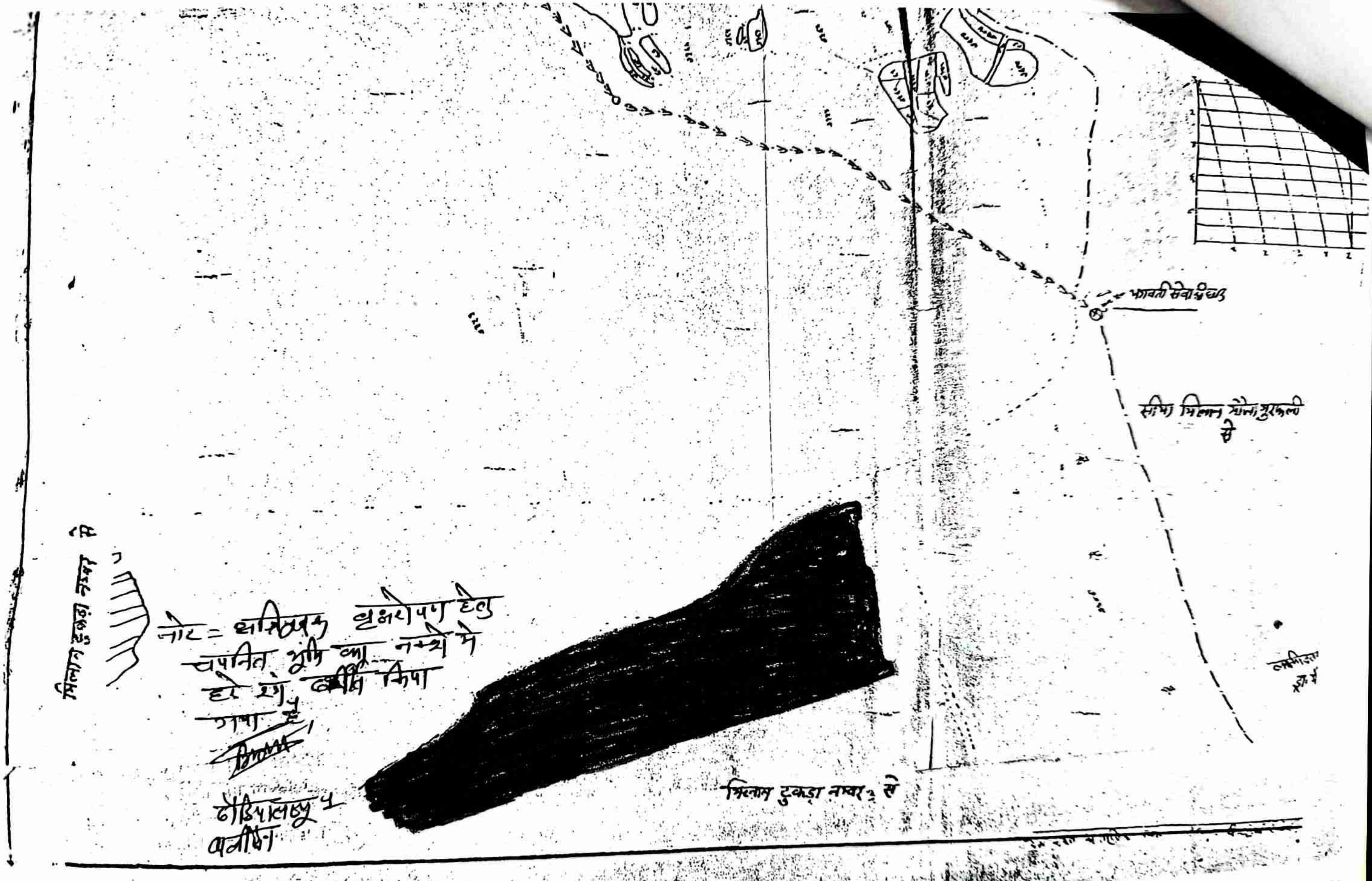

मिलान टुकड़ा नम्बर 2 से
सीमा मिलान
वृक्षारोपण हेतु

नकल खसरा असल

प0 क0 – 3

ग्राम – दौण्ड   पट्टी – चौंडिफलस्यूं 1   तहसील – थलीसैंण   जिला – पौड़ी गढ़वाल(उत्तराखण्ड)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1352	5.297	21	उ०ए०	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	आ०उ०	5.297		
योग	5.297																	5.297		

सन्तोष सिंह बिष्ट
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी-चौंडिफलस्यूं 1
तहसील थलीसैंण

नियम - ४६

उत्तरांचल स्टेशनरी

[illegible]

ग्राम - टोण्डु   पट्टी - डौडियालस्यूं 1   परगना - मल्लाबधाण   तहसील - थलीसैण   [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	लिखत जमीन					[illegible]	[illegible]		[illegible]
											[illegible]	उपखाव		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
												[illegible]	[illegible]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21	झाड़ी	[illegible]	7352	5.297	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note: 2A खा.सं. 7352 5.297 हेक्टेयर में से 2.110 हेक्टेयर भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया,

[illegible]

डौडियालस्यूं 1

[illegible]

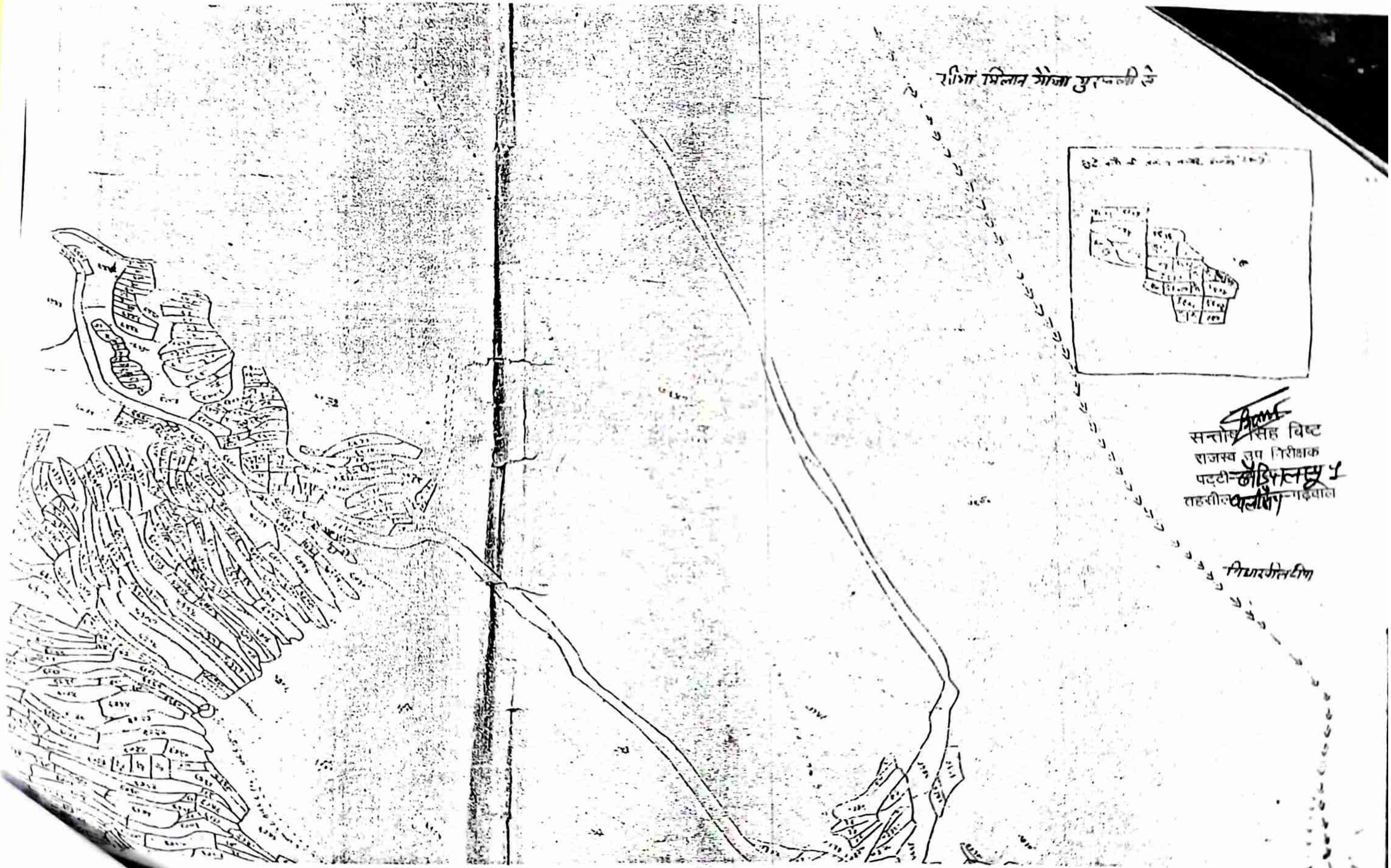
सन्तोष सिंह बिष्ट
राजस्व उप निरीक्षक

	FP/UK/ROAD/43022/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/43022/2019) Construction of VILLAGE SYUNSI TO AAMKULAUN MOTOR ROAD IN BIROKHAL BLOCK DISTT PAURI GARHWAL UTTARAKHAND	ROAD430222019998	6143022998	03 Feb 2020	**CA:** 0/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 650430/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1156001/-	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Road side Plantation :** 505571/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 21 Mar 2020 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : Corporation Bank (Challan) **Challan Generated On** :17 Jul 2020 **Transaction Date** : 04 Aug 2020	Demand Lette... Generated Challan (../U...
8	FP/UK/ROAD/16722/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/16722/2015) construction of NAULAPUR - KHETU- KEDARGALI - KONAGAD -GHODIYANA - BIRONKHAL MOTOR ROAD	ROAD167222015553	6116722553	19 Oct 2016	**CA:** 370473/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 308605/- , **NPV:** 0/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 679078/-	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :23 Sep 2019 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : Corporation Bank (Challan) **Challan Generated On** :24 Sep 2019 **Transaction Date** : 11 Dec 2019	Demand Letter (../writere Generated Challan (../Use
9	FP/UK/ROAD/10588/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10588/2015) Extension of Garsari Motor road to Kulyani - Dhandankhet	ROAD105882015153	6110588153	17 Nov 2016	**CA:** 547197/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 912600/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1459797/-	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :25 Feb 2018 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : Corporation Bank (Challan) **Challan Generated On** :02 Jan 2019 **Transaction Date** :14 Jan 2019	Demand Letter (../writere Generated Challan (../Us

संलग्नक-2

संलग्नक -3

...जना के नाम:– जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत तहसील थलीसैण में गढसारी कुल्याणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई 3.000 किमी०।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का पमाण– पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा यथा समय कर दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
बैजरों (गढ़वाल)

संलग्नक -4

योजना के नाम:- जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत तहसील थलीसैण में गढसारी कुल्याणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई 3.000 किमी0।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Verge पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,
बैजरों (गढ़वाल)